न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -66/2021-22

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

सुधीर कुमार सिंह मुण्डा बनाम सम्पति देवी

11-12-21
04-01-22

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – सुधीर कुमार सिंह मुण्डा पिता–स्व० रामनारायण सिंह मुण्डा, ग्राम–सोनाहातु, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती।

क्रेता का नाम एवं पता – सम्पति देवी पति–दुर्योधन मुण्डा, ग्राम–पुडदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–गृहणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री सुखदेव महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–27/09/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता सम्पति देवी पति–दुर्योधन मुण्डा, ग्राम–पुडदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–गृहणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
गोमयाडीह	सोनाहातु/59	65	59	06 डी० चौहद्दीः– उ०–नीज। द०–गुरूचरण सिंह मुण्डा। पू०–नीज। प०–राजेन महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक–938(ii) दिनांक–01/12/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खयितानी रैयत मोहन सिंह बाबु कॉम मुन्डा के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी II रैयत, विक्रेता के परदादा लगते है।

(3) पंजी II के अनुसार रैयत का नाम रामनारायण सिंह है। तथा रैयत के पास रकबा–2.32 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2021–22 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता–पुत्र का है। तथा खतियान के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचता है।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को उधारी वापस करने हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो आदिवासी जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेता सुधीर कुमार सिंह मुण्डा पिता–स्व० रामनारायण सिंह मुण्डा, ग्राम–सोनाहातु, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, को क्रेता सम्पति देवी पति–दुर्योधन मुण्डा, ग्राम–पुडदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–गृहणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–22/10/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता सुधीर कुमार सिंह मुण्डा पिता–स्व० रामनारायण सिंह मुण्डा, ग्राम–सोनाहातु, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, को क्रेता सम्पति देवी पति–दुर्योधन मुण्डा, ग्राम–पुडदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–गृहणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)a के तहत दी जाती है। तथा अवर

निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
गोमयाडीह	सोनाहातु/59	65	59	06 डी० चौहद्दीः– उ०–नीज। द०–गुरूचरण सिंह मुण्डा। पू०–नीज। प०–राजेन महतो।

लेखापित एवं संशोधित।

ह० 04/01

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

ह० 04/01

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.04.02 11:55:17 +05:30
Location: 10.93.79.7